FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

जमना देवी बनाम जुंजाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज आवेदन नं. 53/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सिरदाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/2/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया/अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो/	
03/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता	

Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर निशानबन्दी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बामनवास को कमिशनर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। 03.4.2019

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 25 दिनांक : 3/4/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जमनादेवी पत्नि रेखाराम निवासी खारड़ा बेरा बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. जूंजाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 14 निवासी खारड़ा बेरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 04 / 2019

आदेश

मौजा खारड़ा बेरा पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 663 / 435 रकबा 4.00 बीघा, की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पंर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा / बायतु / नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

03-4-2019

(अनिल कुमार पुनिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2019 / 26 to 30 दिनांक : 3/4/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण जमनादेवी वगैरा।
4. विप्रार्थीगण श्री जुंजाराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

03.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner